

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 189/2019

1. अमनदीप पुत्र हरीसिह जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. हरीसिह पुत्र सहीराम } जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला
2. मुकेश कुमार पुत्र हरीसिह } हनुमानगढ।
3. प्रमिला पत्नी अश्विनी पुत्री हरीसिह जाति बिश्नोई निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. राधादेवी पत्नी हरीसिह जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्रपाल वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विजय बैनीवाल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 18 एनजीसी के खाता सं० 72/60 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 0.544 है० में से 0.506 है० व चक नं० 18 एनजीसी के खातासं० 132/108 में कुल 2.530 है० कृषि भूमि के वादी अमनदीप व प्रतिवादीसं० 2 मुकेश कुमार को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 18 एनजीसी के खाता सं० 72/60 व इसी चक के खाता सं० 132/108 में से प्रतिवादी सं० 1 हरीसिह का नाम कलमजन किये जानै के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21-08-2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी